

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी:- कृष्णपाल सिंह चौहान(आर.ए.एस))

मुकदमा नम्बर 5/2021

दायर दिनांक 2.02.2021

जीसीएमएस नं. 2021/10

निर्णय दिनांक 30.7.2021

अमरसिंह पिता मंगला जाति लवाना उम्र 63 वर्ष निवासी कनबा तहसील  
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर - निगरानीकर्ता

बनाम

- 1 प्रकाश कुमार पिता मांगीलाल जाति लवाना उम्र 40 वर्ष निवासी कनबा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
- 2 ग्राम पंचायत कनबा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत कनबा पंचायत समिति सीमलवाडा जिला डूंगरपुर - प्रत्यर्थीगण

निगरानी बनाराजगी

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध  
ग्राम पंचायत कनबा द्वारा जारी किए गये पट्टा संख्या 60 दिनांक 20.9.2018  
को अवैध निरस्त व प्रभावहीन किए जाने बाबत

अधिवक्ता:-प्रार्थी की ओर से श्री मोहनलाल पण्ड्या एडवोकेट  
अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 की ओर से :-श्री नरेश जोशी एडवोकेट  
अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 की ओर से:- श्री भंवरलाल पण्ड्या एडवोकेट

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई तथा निगरानीकर्ता की निगरानी अनुसार निम्न तथ्य है। कि प्रत्यर्थी सं. दो द्वारा प्रत्यर्थी सं. एक के पक्ष में पट्टा सं. 60 दिनांक 20.9.2018 को जारी किया गया है जिसकी जानकारी सिविल कोर्ट सीमलवाडा में विचाराधीन मुकदमे के सम्मन प्राप्त होने पर हुई। निगरानीकर्ता द्वारा उल्लेखित किया गया कि उपरोक्त पट्टा फर्जी रूप से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे में उल्लेखित कोई संकल्प जारी



नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई संकल्प ग्राम पंचायत मे मौजूद है तथा ना ही पट्टा बाबत किसी पत्रावली का संधारण किया गया है क्योंकि ऐसा कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। पट्टे की शर्त अनुसार पचास वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा होना आवश्यक होता है। पट्टे की शर्त अनुसार कोई राशी ग्राम पंचायत द्वारा जमा नहीं ली गई है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया कि प्रत्यर्थी सं. 1 का मकान उसकी कृषि भूमि खसरा नम्बर 167 मे बना हुआ है जबकि पट्टा खसरा नम्बर 192 की भूमि को लेकर जारी किया गया है। प्रत्यर्थी राजकीय कर्मचारी है उसके द्वारा विभागीय नियमों का उल्लघन किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष मे जारी पट्टा निरस्त किया जाए।

निगरानीकर्ता की निगरानी को दर्ज किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया।

प्रत्यर्थी सं. एक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाकर उल्लेखित किया गया कि निगरानीकर्ता को पट्टे की जानकारी दिनांक 3.7.2021 से पूर्व ही हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने अपने अधिवक्ता दिनेशचन्द्र चौबीसा के माध्यम से दिनांक 3.7.2021 को एक नोटिस भिजवाया था जिस कारण निगरानी म्याद बाहर पेश है तथा यह भी उल्लेखित किया की निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 1.7.2020 को जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र इस संबध मे प्रस्तुत किया गया था तथा इस संबध मे सिविल जज साहब सीमलवाडा के न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया है मौके पर प्रत्यर्थी का कब्जा है तथा पुर्व मे पट्टा शुदा भूमि पर पैतृक मकानात बने हुए थे जो गिर गए। निगरानीकर्ता का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। मात्र आम रास्ते की भूमि के पास जो भूमि है उसको हडपने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा आबादी की भूमि खसरा नम्बर 167 मे कुछ भूमि के पट्टे बाबत ग्राम पंचायत में कार्यवाही की थी लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया इसलिए यह मिथ्या कार्यवाही की गई है। निगरानी के माध्यम से दबाव डालकर ग्राम पंचायत से भूमि प्राप्त करना चाहते है। आदि तथ्यों का उल्लेख किया गया और कहा गया कि पट्टा निरस्त योग्य नहीं है।

न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मूल पत्रावली तलब किए जाने पर मूल पत्रावलीयों नहीं मिली है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में पट्टा संख्या 60 दिनांक 20.09.2018 की प्रति दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए। प्रत्यर्थी सं 1 की ओर सीमलवाडा न्यायालय में विचाराधीन वाद व प्रार्थना पत्र की नकल मय नक्षा, अधिवक्ता दिनेशचन्द्र चौबीसा का दिनांक 3.7.2020 का नोटिस, जवाब नोटिस दिनांक 8.8.2020, प्रथम सूचना रिपोर्ट व एफ.आर, अमरसिंह द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 1.7.2020 दस्तावेज पेश किए गए।

प्रकरण में बहस दिनांक 19.07.2021 को सुनी गई। जिसमें निगरानीकर्ता और प्रत्यर्थी सं 1 की ओर से अपने-अपने कथनों को दौहराया गया तथा निगरानीकर्ता की ओर से अपनी बात के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के Miscellaneous Application No.665/2021 ओदश दिनांक 27.04.2021 की प्रति, 2012 (3)ILR Raj नागरमल बनाम अति.जिला कलेक्टर, सीकर निर्णय दिनांक 30.07.2012 की प्रति, मनोहर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य आदेश दिनांक 3.04.2012, Citation 2017(2)DNJ(Raj)730 मांगीलाल मेघवाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर पाली व अन्य आदेश दिनांक 12.04.201, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.02.2013 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों से परे जाकर पट्टा जारी किया तथा ग्राम पंचायत के पास कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है अगर वास्तविक रूप से पट्टा जारी किया जाता पंचायत के पास रेकार्ड उपलब्ध होता एवं इसकी पृथक से पत्रावली संधारित की होती। पंचायत के पास नियमानुसार राशी जमा कराई हो ऐसा भी कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। पट्टा नियमानुसार जारी नहीं किया गया। है इसलिए निरस्त किया जाए और प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए।

इसके विपरीत अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से कथन किया गया कि उनको जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया उस भूमि तथा रोड के मध्य खाली भूमि पड़ी हुई तथा जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं किए जाने पर यह गलत तथ्यों की निगरानी प्रस्तुत हुई है जिस बात को स्वयं निगरानीकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए नोटिस दिनांक 03.07.2020 में स्वीकार किया गया है तथा निगरानीकर्ता को उस आदेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर  
प्रकरण संख्या 04/2021 अनवान अमरसिंह बनाम प्रकाश कुमार वगै.  
निवासी कनवा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

जिसके बाबत पट्टा जारी नहीं किया गया, के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए प्रत्यर्थी कहां दोषी है तथा निगरानीकर्ता द्वारा पुलिस कार्यवाही की गई थी जिसमें एफ.आर पेश हुई है तथा पुलिस कार्यवाही में तत्कालीन सरपंच द्वारा पट्टा जारी करना स्वीकार किया गया है ऐसी परिस्थिति में निगरानी खारीज की जाए।

दिनांक 19.07.2021 को बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 30.7.2021 को नियत की गई। बहस सुनने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26.07.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रेकार्ड पर नहीं लिया गया।

हमारे द्वारा प्रकरण में निगरानीकर्ता तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात और न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) प्ररूप 23(क) के अन्तर्गत पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की कौरम बैठक में सरपंच को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र स्वीकार होने पर, पटवारी की रिपोर्ट, पंचों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाने के पश्चात् नियम 148 के अनुसार उजरदारी नोटिस 30 दिवस की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। पटवारी की रिपोर्ट, पंचों द्वारा स्थल का निरीक्षण अगली कौरम बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। 30 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों को अगली कौरम बैठक में रखा जाएगा। आपत्तियों पर निस्तारण कर ग्राम पंचायत संकल्प हेतु आगामी कौरम बैठक में करेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.02.2013 के अनुसार नियम 157 के संशोधन अनुसार प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। इस प्रकार 45 दिन से अधिक की अवधि प्रक्रियागत कार्यवाही में नियोजित होती है। जो इस प्रकरण में अमल में नहीं लायी गई है। जिससे पट्टा जारी करने को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है।

हमारे विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में विधिक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर

प्रकरण संख्या 06/2021 अनवान भंवरलाल बनाम पोपटलाल वगै.

निवासी कनबा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

अनियमितता की है। यद्यपि पत्रावली पर पट्टा उपलब्ध है लेकिन पट्टा जारी किए जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जो संकल्प लेना चाहिए था वह कहीं मौजूद नहीं है तथा ग्राम पंचायत के पास पट्टा जारी करने के संबंध में कोई नियमानुसार शुल्क जमा कराया हो ऐसी भी कोई रसीद पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ग्राम पंचायत की कौरम बैठक में भी नहीं लिया गया है। यह बात साबित है कि प्रत्यर्थी के मकान उसकी खेती की भूमि खसरा नम्बर 192 में बने है तथा बरामदा खसरा नम्बर 167 में बने हुए है जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से साबित हो रहे है। क्योंकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के अर्न्तगत पट्टा जारी किए जाने के प्रावधान दिए हुए हैं, किन्तु प्रश्नगत पट्टे में उन प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में मेरे विनम्र मत में इस पट्टे का बना रहना विधि की अवहैलना होगा तथा ग्राम पंचायत कनबा द्वारा जारी पट्टा सं. 60 दिनांक 20.09.2018 को निरस्त करना उचित समझता हूँ।

#### आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कनबा द्वारा जारी पट्टा सं. 60 दिनांक 20.9.2018 को खारीज और निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डूंगरपुर